

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

56-57, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110 058

दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

अधिसूचना

दिनांक :-05.06.2020

संस्कृत शिक्षा के विकास की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2020 तक विस्तार की गयी है।

अधिसूचना दिनांक 29.01.2020 के तारतम्य में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना 2007 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि में निम्न प्रकार से विस्तार किया गया है।

योजना का नाम	पूर्व में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	विस्तार की गई अंतिम तिथि
(i) संस्कृत शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता- (क) पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं/ विद्यालयों/ महाविद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों को वित्तीय सहायता। (ख) पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों के अध्यापकों को वित्तीय सहायता। (ग) राज्य सरकार से सम्बन्धित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापकों को वित्तीय सहायता।	30.06.2020	31.08.2020
(ii) संस्कृत के विकास की दस-वर्षीय भावी योजना के लिए विज्ञान एवं रोडमैप पर सुझाव देने हेतु गठित समिति द्वारा अनुशासित संस्कृत के सतत विकास के लिए अष्टादशी (अठारह परियोजनाओं) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।		
(iii) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले संस्कृत पण्डितों को सम्मान राशि।		
(iv) संस्कृत के सर्वधन हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों/ गतिविधियों के लिए गैर सरकारी संगठनों/मानित संस्कृत विश्वविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता।		
(v) संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकों के पुनर्मुद्रण एवं प्रकाशन तथा संस्कृत की पुस्तकों की थोक-खरीद हेतु वित्तीय सहायता।		
(vi) सेवानिवृत्त/ख्यातिप्राप्त साहित्यिक संस्कृत विद्वानों (शास्त्र चूड़ामणि) की सेवाओं की उपयोगिता हेतु वित्तीय सहायता।	31.03.2020	31.08.2020
(vii) पारम्परिक संस्कृत पाठशालाओं/ संस्थाओं के छात्रों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के लिए पंजीकृत शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता।		
(viii) संस्कृत शिक्षण के मानकों के समुन्नित करने हेतु विश्वविद्यालयों/ मानित विश्वविद्यालयों/ सी.बी.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. इत्यादि को वित्तीय सहायता।		

योजनाओं के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व अधिसूचना दिनांक 29.01.2020 के अनुसार यथावत होंगी।

हस्ता./-

कुलसचिव

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

Ph. No. 011-28524993, 28524995 28520979, 28520966

NOTIFICATION

Date:-05-06-2020

Date of financial assistance for the year 2020-21 under Schemes for development of Sanskrit Education has been extended upto 31.08.2020

Pursuant to the notification dated 29.01.2020, Central Sanskrit University (formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University) under Ministry of H.R.D., Government of India for propagation and promotion of Sanskrit language, inviting applications in the prescribed proforma for financial assistance for the year 2020-21 under the following Schemes for the Development of Sanskrit Education 2007. The date of the following schemes has been extended as follows:-

Name of Scheme	Last date of submission of application form as per previous notification	Last date of submission of application, as extended
I. Financial Assistance for Sanskrit Teaching:- a) Financial Assistance for Sanskrit teachers to the Traditional Sanskrit Pathshalas/Sanskrit Mahavidyalayas. b) Financial Assistance for Teachers of Modern Subjects in Traditional Sanskrit Pathshalas/Sanskrit Mahavidyalayas. c) Financial Assistance for Sanskrit Teachers in Secondary/Higher Secondary schools belonging to State Government. II. Financial Assistance under Scheme of "Ashtaadashi" - Eighteen Projects for sustaining the growth of Sanskrit recommended by the Committee constituted for suggest Vision and Road Map for the Development of Sanskrit - 10 year perspective plan.	30.06.2020	31.08.2020
III. Financial Assistance for Samman Rashi to Eminent Sanskrit Pandits in indigent circumstances. IV. Financial Assistance to NGOs/Deemed Sanskrit Universities/Universities for various Research Projects and Programmes/Activities for promotion of Sanskrit. V. Financial Assistance for Publication, Re-print of Rare Sanskrit Books & Bulk purchase of Sanskrit Books. VI. Financial Assistance for utilization of services of Retired/Eminent literary Sanskrit Scholars (Shastra Chudamani). VII. Financial Assistance to Registered Academic Organizations to conduct "Vocational Training Courses" for the students of Traditional Sanskrit Pathshalas/Institutions. VIII. Financial Assistance to Universities/Deemed Universities/CBSE/NCERT/SCERT etc to improve standards of Sanskrit teaching.	31.03.2020	31.08.2020

Rules & Regulations of submission of applications for above Schemes will be same and as per details given in the earlier notification dated 29.01.2020 of Central Sanskrit University.

Sd/-
Registrar